रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122020-223716
CG-DL-E-16122020-223716

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 630] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2020/अग्रहायण 24, 1942
No. 630] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2020/AGRAHAYANA 24, 1942

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसंबर, 2020

सा.का.नि. 761(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2017 का संशोधित करने के लिए प्रस्तुत हैं, जिन्हें केंद्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा यथोपेक्षित, इस के द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि जिस तारीख को सरकारी राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी, की प्रतियां सामान्य जन को उपलब्ध कराई जाती हैं, उससे तीस दिन की अवधि के बाद उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, श्री प्रांजल चंद्रा, निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली को भेजे जाएं या pranjol.chandra@gov.in को मेल किए जा सकते हैं;

कोई भी आपत्ति या सुझाव, जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हों, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) उक्त नियमों को वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2020 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवर्तित होंगे।

2. वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियम, 2017 (यहां इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) में, नियम 2 में –

(i)उप-नियम (1) बिंदु (ग) में, निम्नलिखित उपबंध शामिल किया जाएगा, नामत:-

"नोट 3. किसी विमान को गुमशुदा माना जाएगा जब आधिकारिक खोज बंद की जा चुकी हो और मलबे को खोजा नहीं गया हो।"

(ii) उप-नियम (3) में, इन शब्दों ''राष्ट्र और जहां राष्ट्र ने विमान अन्वेषण प्रधिकरण स्थापित किया हो, नामित अधिकृत प्रतिनिधि सामान्यत: उस प्राधिकरण से होगा''को इन शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा- ''राष्ट्र। अधिकृत प्रतिनिधि सामान्यत: उस देश के दुर्घटना अन्वेषण प्राधिकरण से होगा''।

(iii) उप-नियम 27 के बाद, निम्नलिखित उप-नियम शामिल किया जाएगा, नामत:–

"(27क) "वैश्विक प्रतिष्ठान की संरक्षा सिफारिश (एसआरजीसी)" पुनरावृत्ति की संभावना वाली प्रणालीगत खामी के संबंध में, वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय परिणामों सहित, संरक्षा सिफारिश और जिसके लिए संरक्षा में सुधार लाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई अपेक्षित है।"

(iv) उप-नियम (30) में, ''दुर्घटना'' शब्द को ''घटना'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(v) उप-नियम (36) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम शामिल किया जाएगा, नामत:–

"(37) "यूटीसी" का आशय सार्वभौमिक समय समन्वित से है।"

3. उक्त नियमों में, नियम 4 में –

i. उप-नियम (2), उपबंध (क) में, ''दुर्घटनाओं के लिए'' शब्दों से पूर्व ''गंभीर घटनाओं के लिए एसआईएनसीआईडी'' शब्द शामिल किए जाएंगे।
ii. उप-नियम (2), उपबंध (ङ) में, ''तारीख और समय'' शब्दों के बाद ''(स्थानीय समय या यूटीसी)'' शब्द शामिल किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, नियम 5 में -

i. उप-नियम (1), उपबंध (ख) में, ''दुर्घटना'' शब्द को ''घटना'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ii. उप-नियम (क) में, ''किसी भी परिस्थिति'' शब्दों के बाद ''घटना या एक'' शब्दतथा ''की परिस्थितियों'' शब्दों के बाद ''एक घटना या'' शब्द हटाए जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, नियम 7 में, उप-नियम (3) में -

i. ''इन नियमों के बाद'' शब्दों के बाद ''निदेश जारी करना या'' शब्द शामिल किए जाएंगे।

ii. उपबंध (ग) के बाद, निम्नलिखित उपबंध शामिल किया जाएगा, नामत: -

"(घ) किसी उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना और ऐसे स्थान तक मलबे के पारवहन का सुगमीकरण।"

6. उक्त नियमों में, नियम 8 में, उप-नियम (3) में –

(i) उपबंध (ज) में, ''इसका'' शब्दों के बाद ''और'' शब्द हटाया जाएगा।

(ii) उपबंध (ज) के बाद, निम्नलिखित उपबंध शामिल किया जाएगा, नामत: -

"(जक)इकाओ को वैश्विक प्रतिष्ठान की संरक्षा सिफारिश (एसआरजीसी) जारी करने के बारे में सूचित करना और तिथिबद्ध पत्र-व्यवहार में उसके प्रत्युत्तर, जब एसआरजीसी इकाओ को संबोधित न हो तब भी; और"

7. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप-नियम शामिल किया जाएगा, नामत: -

"(6) डीजी, एएआईबी प्रभारी अन्वेषक की रिपोर्ट स्वीकार करेगा और स्वीकृति के बाद, इसके डीजी, एएआई द्वारा, उस रिपोर्ट को ऐसे तरीके से, जैसा वह उचित समझे, सार्वजनिक किया जाएगा।"

8. उक्त नियमों में, नियम 23 का विलोप करने के बाद, निम्नलिखित नियम किया जाएगा, नामत: -

"24. **एएआईबी बुलेटिन** – (1) डीजी, एएआईबी, एएआईबी शीर्षक वाले बुलेटिन के माध्यम से, भारत में या भारत के ऊपर उड़ान भरने वाले विमानों या भारत के पंजीकृत विमानों की दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं के अन्वेषण के संबंध मेंऐसी सूचना जारी कर सकता है जो वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) और इन नियमों से असंगत न हों।"

9. उक्त नियमों में, अनुसूची क में -

i. उपबंध (क) में, निम्नलिखित टिप्पणी को शामिल किया जाएगा, नामत: –

"इकाओ दस्तावेज 4444 में यथा उल्लिखित टिप्पणी: ''टकराव का जोखिम'' और ''बीमाकृत नहीं की गई संरक्षा''तीव्रता के साथ वर्गीकृत 'लगभग टकराव' को गंभीर घटना के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।"

ii. उपबंध (च) में, "टैक्सीवे या अनावंटित रनवे" शब्दों को "टैक्सीवे, अनावंटित रनवे या अनाभिप्रेत अवस्थितियां जैसे रोडवेज" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

iii. उपबंध (झ)को, निम्नलिखित उपबंध से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: -

"(झ) उड़ान के दौरान उड़ान कर्मीदल का अक्षम हो जाना;

(i) एकल पायलट (रिमोट पायलट सहित) प्रचालनों के लिए;

(ii) बहु-पायलट प्रचालनों के लिए, जिसके लिए शेष कर्मीदल के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि के कारण उड़ान संरक्षा से समझौता किया गया।"

iv. उपबंध (त) "विफलताओं" शब्द के बाद "(पॉवर या थ्रस्ट की कमी सहित)" शब्द शामिल किए जाएंगे।

v. एक नए या उपबंध (ध) शामिल किया जाएगा, नामत: -

"(ध) अवतरण (लैंडिंग) गीयर लैग का प्रत्याहार (रिट्रेक्शन) या पहियों के उपर होने की स्थिति के साथ अवतरण (व्हील्स-अप लैंडिंग) जिसे दुर्घटना के रूप में वगीकृत न किया गया हो।"

vi. एक नया उपबंध (न) शामिल किया जाएगा, नामत: –

"(न) किसी विंग टिप, किसी इंजिन पॉड या विमान के किसी अन्य हिस्से का अवतरण के दौरान घिसट जाना (ड्रैगिंग), जब इसे एक दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो।"

10. उक्त नियमों में, अनुसूची ख में -

i. गुरु कोष्ठक में "अनुसूची ख" के अंतर्गत"2(क)" अक्षरों को "2(1)"अक्षरों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ii. उपबंध 9 में, "विमान यथा अन्यथा" शब्दों को, "विमान ने अन्यथा" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. एवी-11012/3/2019-डीजी]

सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:-

1. प्रधान नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 7 अगस्त 2017 के सा.का.नि. 1011 (अ) द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 15th December, 2020

G.S.R. 761(E).— The following draft of certain rules further to amend the Aircraft (Investigation of Accidents & Incidents) Rules, 2017, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by Section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to Shri Pranjol Chandra, Director, Ministry of Civil Aviation, Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi or mailed to pranjol.chandra@gov.in.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Investigation of Accident and Incident) Amendment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft (Investigation of Accident and Incident) Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in Rule 2 –

(i) In sub-Rule (1) point (c), after Note 2, the following clause shall be inserted, namely -
"Note3. An aircraft shall be considered as missing when the official search has been terminated and the wreckage has not been located."
(ii) In sub-Rule (3), for the words, "State and where the State has established an accident investigation authority, the designated accredited representative would normally be from that authority;", the words "State. The accredited representative would normally be from the state's accident investigation authority;" shall be substituted.
(iii) After the sub-Rule 27, the following sub-rule shall be inserted, namely –
"(27A) "Safety recommendation of global concern (SRGC)" A safety recommendation regarding a systemic deficiency having a probability of recurrence, with significant consequences at a global level, and requiring timely action to improve safety."
(iv) In sub-Rule (30), for the word "accident", the word "occurrence" shall be substituted.
(v) After the sub-Rule (36), the following sub-rule shall be inserted, namely –
"(37) "UTC" means Universal Time Co-ordinated."

3. In the said rules, in Rule 4 –

i. In sub-Rule (2), clause (a) the words "for serious incidents SINCID," shall be inserted before the words "for incidents".
ii. In sub-Rule (2) clause (e) the words "(local time or UTC)" shall be inserted after the words "date and time".

4. In the said rules, in Rule 5 -

i.In sub-Rule (1), clause (d), for the word, "accident", the word "occurrence" shall be substituted.

ii. In sub-Rule (2), the words "incident or a" after the words "circumstances of any" and the words "an incident or" after the words "circumstances of" shall be deleted.

5.In the said rules, in Rule 7, in sub-Rule (3) -

i. the words "issue directions or" shall be inserted after the words " under these rules, ".

ii. after clause (c), the following clause shall be inserted, namely -
"(d) for arranging a suitable place and facilitation of transportation of wreckage to such a place."

6. In the said rules, in Rule 8, sub-Rule (3) –
(i) In clause (h), the word "and" after the words "of the same;" shall be deleted.
(ii) After clause (h), the following clause shall be inserted, namely -
"(ha) to inform ICAO of the issuance of a Safety Recommendation of Global Concern (SRGC) and its responses in dated transmittal correspondence, even when the SRGC is not addressed to ICAO; and"

7. In the said rules, in Rule 11, after sub-Rule (5), the following sub-Rule shall be inserted, namely -
"(6) The DG, AAIB shall accept the report of the Investigator-in-Charge and after acceptance, the same shall be made public by the DG, AAIB in a manner he deems fit."

8. In the said rules, after omitted Rule 23, the following rule shall be inserted, namely -
"24. **AAIB Bulletins.** – (1) The DG, AAIB may, through publication entitled AAIB Bulletins, issue information not inconsistent with the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) and these rules, relating to the

investigation of accidents and serious incidents of aircraft flying in or over India or of aircraft registered in India."

9. In the said rules, in Schedule A -

i. In clause (a), the following note shall be inserted, namely –

"Note: Near collision classified with severity "Risk of Collision" and "Safety not assured" as in ICAO Doc 4444 shall be classified as serious incident."

ii. In Clause (f), for the words "taxiway or unassigned runway", the words "taxiway, unassigned runway or unintended landing locations such as roadways" shall be substituted.

iii. For the clause (l), the following clause shall be substituted, namely -

"(l) Flight crew incapacitation in flight;

(i) for single pilot operations (including remote pilot);

(ii) for multi-pilot operations for which flight safety was compromised because of a significant increase in workload for the remaining crew."

iv. In clause (p) the words "(including loss of power or thrust)" shall be inserted after the word "failures".

v. A new clause (s) shall be inserted, namely -

"(s) Retraction of a landing gear leg or wheels-up landing not classified as an accident."

vi. A new clause (t) shall be inserted, namely –

"(t) Dragging during landing of a wing tip, an engine pod or any other part of the aircraft, when not classified as an accident."

10. In the said rules, in Schedule B -

i. In the square brackets under "Schedule B", the characters "2(a)" shall be substituted by the characters "2(1)".

ii. In the clause 9, for the words "aircraft as otherwise", the words "aircraft has otherwise" shall be substituted.

[F. No. AV-11012/3/2019-DG]
SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note:-

1. The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number G.S.R. 1011(E) dated 7th August 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.16 21:37:40 +05'30'